राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, म.प्र.

(पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार)

पर्यावरण नियोजन एवं समन्वय संगठन
पर्यावरण परिसर, ई–5, अरेरा कॉलोनी
भोपाल–462016 (म.प्र.)
बेवसाईट– http://www.mpseiaa.nic.in
दूरभाष नं. – 0755–2466970, 2466859
फैक्स नं. – 0755–2462136

No: 1334/SEIAA/2022
Date: 4/8/22

प्रति,

कलेक्टर
जिला कटनी (म.प्र.)

विषयः प्रकरण क्र. 8099/2021 परियोजना प्रस्तावक मेसर्स ईटालियन मार्बल, पार्टनर, श्री गणेश प्रसाद विश्वकर्मा, गौतम मोहल्ला, जलपा देवी वार्ड, जिला कटनी (म.प्र.) द्वारा मार्बल पत्थर खदान (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाइज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 57390 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 8.21 हेक्टेयर, खसरा 406, 417, ग्राम पोड़ी, तहसील ढ़ीमरखेड़ा, जिला कटनी (म.प्र) की पूर्व पर्यावरणी स्वीकृति के लिये आवेदन।

प्रकरण राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण की 738वी बैठक दिनांक 28.07.2022 को निम्नानुसार निर्णय लिया गया ....

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) की 719वीं बैठक दिनांक 21.04.2022 में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत सर्व सम्मति से निम्नलिखित निर्णय लिया गया :–

"परियोजना प्रस्तावक द्वारा अनुमोदित खनन योजना में उल्लेखित अक्षांश देशांश के आधार पर Google Image अनुसार प्रस्तावित खदान से 250 मीटर लंबाई की सड़क होना परिलक्षित है एवं कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला कटनी द्वारा महाप्रबंधक, म.प्र. ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण, जिला कटनी को प्रेषित पत्र क्र. 384 दिनांक 12.01.2020 के अनुसार प्राधिकरण से अनुरोध किया गया है कि उक्त प्रस्तावित खदान खसरा नं. 414, 415 एवं 417 के बाहर से रोड़ का निर्माण किया जाये।

अतः जिला कलेक्टर, कटनी से सड़क निर्माण के संबंध में अद्यतन जानकारी 10 दिवस में प्राप्त की जाये, जिससे प्रकरण में निर्णय लिया जा सके।

उपरोक्त निर्णय अनुसार कलेक्टर कटनी से चाही गई जानकारी आज दिनांक तक सिया कार्यालय मे आप्राप्त है। अतः प्राधिकरण द्वारा सर्व सम्मति से प्रकरण को Delist किये जाने का निर्णय लिया गया है। परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।"

कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला कटनी का पत्र क्र. 1602 दिनांक 04.07.2022 प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत किया गया है। प्रकरण में राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा परीक्षण के दौरान पाया गया कि गूगल ईमेज पर प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क को परिवर्तित किया जाना परिलक्षित नहीं हो रहा है क्योंकि उपरोक्त खदान क्षेत्र की गूगल ईमेज वर्ष 2018 के बाद से अपडेट नहीं हुई है। अतः प्राधिकरण द्वारा निर्णय लिया गया कि कलेक्टर कटनी से उक्त सड़क के परिवर्तित मार्ग का राजस्व अधिकारी द्वारा अभिप्रमाणित नक्शे सहित अद्यतन जानकारी 10 दिवस में प्राप्त किया जाये। तदानुसार प्रकरण पर विचार किया जायेगा, परियोजना प्रस्तावक को सूचित किया जाये।

उपरोक्त निर्णय के परिपालन में सड़क के परिवर्तित मार्ग का राजस्व अधिकारी द्वारा अभिप्रमाणित नक्शे सहित अद्यतन जानकारी 10 दिवस में SEIAA कार्यालय को प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

(श्रीमन् शुक्ला)
सदस्य सचिव

पृ.क्र. 1335/SEIAA/2022 दिनांक – 4/8/22

प्रतिलिपि :–

मेसर्स ईटालियन मार्बल, पार्टनर, श्री गणेश प्रसाद विश्वकर्मा, गौतम मोहल्ला, जलपा देवी वार्ड, जिला कटनी (म.प्र.) की ओर सूचनार्थ।

सदस्य सचिव